कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां (राज.)

क्रमांक : स्था. / 1060

दिनांक :- 30.06.2021

प्रति अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बारां
- 2. विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो प्रकरण न्यायालय क्रम-1, बारां / क्रम-2, बारां
- 3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 बारां / क्रम-2 बारां / छबड़ा / अटरू
- 4. विशिष्ठ न्यायाधीश (एससी / एसटी केसेज) बारां
- 5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां
- 6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
- 7. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां
- 8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ,छबड़ा / छीपाबड़ौद / अटरू / मांगरोल / शाहाबाद
- 9. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां
- 10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां/अटरू/किशनगंज/अन्ता
- 11. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां
- 12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, अटरू
- 13. सिस्टम आफीसर, बारां को इस निर्देश के साथ कि पत्र को समस्त न्यायालयों की वेबसाइट पर अपलोड करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.) 1236

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen. |xv|06 | 2021 |SC-I | 1825

Date: 39.06.2021

To:

The District & Sessions Judge All Rajasthan

Sub: Covid-19 Vaccination of Court Staff and other stakeholders.

Ref: Letter dated 24.06.2021 of the Secretary, Department of Medical & Health,

Government of Rajasthan,

Sir,

On the initiation of Rajasthan High Court, the State Government has extended Covid-19 vaccination facilities exclusively for the Judicial Officers, Court Staff, Advocates, Advocates' clerks and their family members.

Recently, vaccination of the facility of both the dozes of Covid-19 vaccination has been started afresh in Rajasthan for all the persons of the age of 18 years and above. At the instance of Rajasthan High Court, the Secretary, Department of Medical & Health has issued clear directions to all the District Collectors vide above referred letter to ensure that vaccination facilities are smoothly continued in coordination with the District & Sessions Judges.

Therefore, you are requested for effective coordination with respective District Collector to ensure that Covid-19 vaccination facilities are properly carried out for Judicial Officers, Court Staff, Advocates, Advocates' Clerks and their family members.

Please also issue appropriate directions for all the Judicial Officers and Court Staff to get both the doses of vaccination as per norms to avoid any inconvenience and for safety of all the stakeholders.

With Regards.

Yours Sincerely

Registrar General

दुड्डी कर ने व्यायाधीश वर्ष (राजाः)

FIRNIT MIDEROIT राष्ट्रीय स्थारस्य गिरान, राजस्थान

विकारकाः स्वास्थ्य पूर्व परिवार सक्याण विभाग,स्वास्थ्य भवन, तिकास मार्ग, राजस्थान, जयपुर जोन न. 0141-2221800. Fmail ID i pil immu-rjænia.in

क्रमाक :- इन्द्/ Covid-19 / 2020-21 / 4/9 4

Innim: 44.06.2001

जिला कलक्टर समस्त राजस्थान

विवय- राजस्थान उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण की प्रथम एवं द्वितीय डोज सुचाक रूप से लगाने के सम्बन्ध में निर्देश।

सन्दर्ग- PA/RG/Misc/2021/1294 Dated 22-06-2021 Registrar General, Rajasthan High Court.

राज्य में 18 से अधिक आयु के लामार्थियों के कोविस वैक्सीनेशन के सामन्य में निर्नेश है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयो एवं अधीनस्थ न्यायालयो में कार्यस्त माननीय न्यायाधीशों, कोर्ट के कार्मिकों, एडयोकेट्स एवं उनके गरिवार के सदस्य जिलकी उम्र 18 शे अधिक है के कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम एवं वितीय रोज लगाये जाने हेतु जिला यायाधीश महोदय से समन्वय स्थापित कर पूर्व की भांति कोविस टीकाकरण की सेवाय सुचार रूप रो -जारी रखना सुनिश्चित करावे ।

चिकित्सा एवं स्वाश्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रेषित है:--

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

2. निजी सचिव, शासन सचिव, विकित्सा एवं स्वास्थ्य विनाग, राजस्थान जयपुर।

3. निजी सचिव प्रमुख सचिव, लॉ एण्ड सीगल अफेयर्स राजस्थान

निजी सहायक, मिशन निदेशक एनएचएम, थिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवावें, राजस्थान जयपुर।

5. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

निजी सहायक, अति० निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वारथ्य सेवार्य, राजस्थान, जयपुर।

7. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन रामस्त

परियोजना निदेशक (टीकाकरण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले

10. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले

11. प्रभारी सर्वर रूम।

शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Rajasthan High Court, Jodhpur

No. Gen/XV/06/2021/1817(SC-I)

Date: 25.06.2021

Copy also forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Registrar (Admn.)/ (Classification), Rajasthan High Court, Jodhpur/Bench Jaipur.

2. All the District & Sessions Judges with the direction to circulate the same amongst all the Presiding Officers of their Judgeship to ensure the compliance.

3. Medical Officer In-charge, Government Dispensary, Rajasthan High Court, Jodhpur/Bench Jaipur.